डी.ए.डी.

लोक सुनवाई का वृत।

श्री नागेंद्र कुमार, पिता–श्री मुंद्रिका राय, न्यू गोसाई टोला, वार्ड नंबर–20, डॉ.डी.राम डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, पोस्ट+थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वारा भोजपुर सोन–1 बालू घाट, मौजा–महुई, ब्लॉक–कोईलवर, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 01.08.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे अंचल कार्यालय कोईलवर, कोईलवर जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2334/2023, dated 24.03.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 01.08.2023 को पूर्वाहन 11:00 बजे अचंल कार्यालय कोईलवर, कोईलवर, भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (270 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव / मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री अजीत कुमार, पिता– श्री कौशल कुमार, ग्राम–महुली, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया पानी का छिड़काव दिन में 02 बार किया जायगा, नदी से मुख्य सड़क तक पेड़ लगाये जायेंगे। सड़क का रख–रखाव किया जायेगा, बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा, ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
2.	श्री कुणाल कुमार, पिता– श्री सत्येंद्र सिंह, ग्राम–महुली, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में कितने पेड़ लगाये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि 270 पेड़ लगाये जायेंगे । इनका रख–रखाव के लिए एक स्थानीय माली को रखा जायेगा। स्थानीय ग्रामीण अपनी रैयती जमीन में वृक्षारोपण करना चाहेंगे तो उनको संवेदक द्वारा पेड़ मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा।
3.	श्री मुन्ना कुमार, ग्राम–महुली, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में कितना खुदाई किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन सतह से 3 मीटर या भू–जल के ऊपर तक ही किया जायेगा।
4.	श्री गौतम कुमार,पिता–श्री विश्वनाथ राय, ग्राम–महुली, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को क्या लाभ मिलेगा । इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस–पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।
5.	मो0 सुहैल, पिता–मो0 सौकत सुहैल, ग्राम–धण्डीहा, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के तहत् ओभर–लोडिंग

		किया जाता है, मुख्य मार्ग को क्षतिग्रस्त किया जाता है। इसकी रोकथाम कैसे किया जायेगा। खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा धर्म काँटा लगाना अनिवार्य होगा। बिना वजन कराये वाहन का चालान निर्गत नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इसकी निगरानी की जायेगी। सड़क का क्षतिग्रस्त होने का कारण ओभर–लोडिंग एवं सड़क पर पानी गिरना है। विभाग द्वारा सेकेंड्री लोडिंग का भी प्रावधान किया गया है, जहाँ से सुखा बालू ही लोड होगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू खनन वैध नहीं होगा तो अवैध होगा। उससे सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा और विकास का कार्य नहीं होगा। इसलिए वैध खनन जरूरी है, इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इसके लिए जिला में 100 उच्च विद्यालय का चुनाव किया गया है उसके विकास का कार्य किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

4-8-23
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

04/08/23
निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
भोजपुर

उपस्थिति सूची

श्री नागेन्द्र कुमार, पिता-श्री मुंद्रिका राय द्वारा सोन-01 बालू घाट, मौजा-महुई, अंचल-कोईलवर, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय कोईलवर, कोईलवर दिनांक 01.08.2023 समय-11:00 P.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुशील कुमार पाण्डेय	निदेशक, डी.आर.डी.ए. भोजपुर, आरा।	[signature] 01/08/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, पटना	[signature] 1-8-23
3.	[illegible]	खनिज विकास पदा०, भोजपुर।	[signature] 01/08/2023
4.	आर्या मिश्रा	खान निरीक्षक, भोजपुर	Arya 01.08.2023
5.	Ravi Ranjan	Consultant Rian Enviro Pvt. Ltd.	Ravi 01.08.2023.
6.	Dharmendra Kumar	महुई	Dharmendra 01.08.23
7.	Ravi Kant Singh	महुई	Ravi 01-08-23
8.	सुरेश कुमार	चाँदी	[signature]
9.	गुलशन कुमार	महुई	Gulsham Kumar
10.	अभय	महुई	Abhay Kumar
11.	दरोगा कुमार	महुई	दरोगा कुमार
12.	[illegible]	कोईलवर	[illegible]
13.	Sony	Koilwar	Sonu
14.	[illegible]		
15.	Vikki Kumar	chandi	[signature]
16.	Pawan Kumar	chandi	Pawan Kumar
17.	Sanjay Kumar	Koilwar	Sanjay [signature]
18.	दिपक कुमार	परेव	Deepak Kumar

19.	शुभम कुमार	मड्डूई	Shubham ku
20.	सुजीत कुमार	मड्डूई	Sujit Kumar
21.	राजा कुमार	मड्डूई	Raja Kumar
22.	उमाकान्त कुमार	मड्डूई	Umakant Kum.
23.	सदानन्द कुमार	"	Sadanand Kumar
24.	अजीत कुमार	मड्डूई	अजीत कुमार
25.	कुणाल सिंह	मड्डूई	कुणाल
26.	धर्मेन्द्र कुमार	मड्डूई	धर्मेन्द्र
27.	Vikash kr	Rim Ennor Pat Ltd	[illegible]
28.	विनोद कुमार गुप्ता	महादेवचक	विनोद कुमार गु
29.	संजीत कुमार	महादेव चक	Sanjit Kumar
30.			
31.	मंजू देवी	महादेवचक	
32.	तेज प्रताप कुमार	महादेव चक	Tejpratap
33.	गोपाल कुमार सिंह	महादेव चाक	गोपाल कुमार सिंह
34.	अशोक कुमार	महादेव चक	अशोक कुमार
35.	अंकित कुमार	जलालपुरा	Ankit kumar
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			